रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2017/पौष 23, 1938
No. 115] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2017/PAUSA 23, 1938

## शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2017

**का.आ. 126(अ).**—यत: दिल्ली की मुख्य योजना – 2021 मे केन्द्र सरकार का अपनी समीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.08.2016 की का.आ. 2735(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप मे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा-(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/ सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: कोई आपत्तियां / सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे एवं इसलिए जांच और सुनवाई बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की गई है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित की गई थी एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित की गई थी।

3. यत: केन्द्र सरकार के इस मामले के सभी पहलुओ पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना - 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

**संशोधन:**

**अध्याय 12.0 दिल्ली मुख्य योजना-2021 की परिवहन व्यवस्था**

| क्र.सं. | मौजूदा प्रावधान-दि.मु.योजना-2021 | संशोधित प्रावधान-दि.मु.यो-2021 |
|---|---|---|
| | **अध्याय 12.0 परिवहन** | |
| 1. | 12.14.3.6 सार्वजनिक बसों के लिए द्वि-स्तरीय पार्किंग।<br><br>भूमि की कमी है और बसों की पार्किंग के लिए प्रभावी भूमि उपयोग आवश्यक है । साथ ही साथ अलाभप्रद व्यय (डेड माइलेज) को कम करने के लिए और शहर से बाहर बड़े प्लॉटों पर स्थित डिपो में बस की दूरी को कम करने के लिए यह अधिक वांछनीय है कि इनके लिए पार्किंग की बसों के लिए ऊपरी बेसमेंट तथा लोअरग्राउंड लेवल में बसों की पार्किंग वाली बहुउपयोगी बहुस्तरीय पार्किंग सुविधाओं वाले विकसित शहरी क्षेत्रों में पार्किंग स्थल उपलब्ध कराए जाएं और छोटे वाहनों के लिए अन्य लेवलों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए।<br>विकसित शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित मानकों वाली द्वि-स्तरीय पार्किंग को मिश्रित उपयोग परियोजनाओं के रूप में विकसित किया जाए । | 12.14.3.6 सार्वजनिक बसों के लिए बहु-स्तरीय पार्किंग ।<br>भूमि की कमी है और बसों की पार्किंग के लिए प्रभावी भूमि उपयोग आवश्यक है । साथ ही साथ अलाभप्रद व्यय (डेड माइलेज) को कम करने के लिए और शहर से बाहर बड़े प्लॉटो पर स्थित डिपो तक बसों को ले जाने के लिए यह अधिक वांछनीय है कि इनके लिए पार्किंग हेतु विकसित शहरी क्षेत्रों में ही बहु-उपयोगी बहु-स्तरीय पार्किंग उपलबध करायी जाए।<br><br>विकसित शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित मानकों वाली बहु-स्तरीय पार्किंग को मिश्रित उपयोग परियोजनाओं के रूप में विकसित किया जाए । |

[फा. सं. के-12011/17/2016-डीडी-I]

अनिल कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2017

**S.O. 126(E).**—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 2735(E) dated 19.08.2016 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of said notice.

2. Whereas, no objections/ suggestions were received and thus the meeting of Board of Enquiry and Hearing has not been convene which was setup by the Delhi Development Authority and approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

**MODIFICATION**:

**Chapter 12.0 Transportation of MPD-2021**

| S.No. | Existing provisions-MPD 2021 | Amended provisions-MPD 2021 |
|---|---|---|
| | **Chapter 12.0 TRANSPORTATION** | |
| 1. | 12.14.3.6 **BI-**LEVEL PARKING FOR PUBLIC BUSES<br><br>Land is scarce and efficient use of land for bus parking is essential. At the same time, in order to reduce dead mileage and making buses travel to locations outside the city to depots in large plots of land, it is more desirable to provide them parking within developed urban areas in multi-use multilevel parking facilities **with bus parking in upper-basement and lower ground levels, and parking for smaller vehicles may be provided in other levels.**<br><br>Within developed urban areas, **bi-**level parking should be developed as mixed use projects with the following norms: | 12.14.3.6 **MULTI-**LEVEL PARKING FOR PUBLIC BUSES<br><br>Land is scarce and efficient use of land for bus parking is essential. At the same time, in order to reduce dead mileage and making buses travel to locations outside the city to depots in large plots of land, it is more desirable to provide them parking within developed urban areas in multi-use multilevel parking facilities.<br><br>Within developed urban areas, **multi-**level parking should be developed as mixed use projects with the following norms: |

[F. No. K-12011/17/2016-DD.I]

ANIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.01.16 14:25:36 +05'30'